2016/00165

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र गुप्ता , आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 25 / 2016 (प्रा0पत्र–आवंटन निरस्तीकरण)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

माधो पुत्र धन्ना जाति रेगर निवासी ग्राम बन्धा
तहसील लाडपुरा जिला कोटा ,

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– 1. श्री गोविन्द सिंह (राजकीय अभिभाषक)
2. श्री रघुवीर यादव (अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से)

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अप्रार्थी का आवंटन निरस्त करने बाबत

निर्णय दिनांक : 08.01.2020

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी माधो पुत्र धन्ना को ग्राम आंवली तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे स्थित आराजी ख0 नं0 233 रकबा 2.34 हैक्टर भूमि आवंटन दिनांक 21.06.1999 को हुई थी । इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2016 से वादग्रस्त भूमि का आवंटन दिनांक 21.06.1999 निरस्त किया गया । जिससे अप्रसन्न होकर आवंटी द्वारा मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे अपील प्रस्तुत की गई । मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 25.04.2016 से अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया है कि आवंटन नियम एवं अलोटमेन्ट नोटिफिकेशन आदि का गहनता से अवलोकन करते हुए एवं अपीलान्ट आवंटी के नाम उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 312 से गैर खातेदारी मे दर्ज करने के बावजूद भी उसके पक्ष मे किया गया आवंटन निरस्तनीय था ? इन समस्त तथ्यों पर स्पष्ट विवेचन करते हुए पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

2. माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 25.04.2016 से पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । दिनांक 30.05.2016 को अप्रार्थी उपस्थित हुआ ।

3.. राजकीय अभिभाषक व वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई । राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवंटी द्वारा भूमि आवंटन एवं कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त प्रथम वर्ष 50 % एवं द्वितीय वर्ष मे शेष 50 % भूमि पर

काश्त कर निर्बाध रूप से सम्पूर्ण रूप पर काश्त करनी चाहिये थी । परन्तु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही की एवं सम्वत् 2057--2059 मे भूमि पडत रही है । अतः अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन संबंधित निर्धारित शर्तो का उल्लघंन किये जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष मे किया गया आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि आवंटी द्वारा आवंटन की शर्त का उल्लघंन नही किया है । अप्रार्थी को आवंटित भूमि का राजस्व रेकार्ड मे गैरखातेदार दर्ज है । आवंटन शुदा आराजी असिंचित होने से अप्रार्थी चरी, तिल्ली व ज्वार की फसल पैदा करता रहा है । अप्रार्थी ने संम्वत 2058 मे तिल्ली की फसल की बोई, सं0 2059 मे अकाल पडने से आराजी पडत रही तथा सम्वत् 2060 से 2063 तक लगातार फसल की गयी । आराजी पर काश्त होने के सबूत मे गिरदावरी पेश की गयी है । पटवारी हल्का ने बिना मौका मुआवना किये बिना आसपास के खेतो के काश्तकारो शहादत लिये झूठे एवं बेबुनियाद तथ्य अंकित करके प्रार्थना पत्र पेश किया है । अतः प्रार्थना पत्र बाबत आवंटन निरस्तीकरण खारिज किया जावे ।

5. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया । माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने निर्णय दिनांक 25.04.2016 से अप्रार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने तथा भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के नियम तथा समय समय पर जारी गजट नोटिफिकेशन का अवलोकन कर निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया है । अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से सम्वत् 2058, 2059 मे काश्त की गयी है परन्तु इससे आवंटन पश्चात 2 वर्षो मे सम्पूर्ण भूमि पर काश्त की जानी साबित नही होती । राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 28.12.2012 के अनुसार **सभी व्यक्ति, जिनको दिनांक 29.09.1999 से पूर्व भूमि आवंटित की गयी थी तथा जिन्होने आवंटन के प्रथम वर्ष मे 50 प्रतिशत भूमि पर खेती नही की थी तथा द्वितीय वर्ष मे अवशिष्ट क्षेत्र एवं उसका आवंटन रद्द नही किया गया था, के खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने के वैसे ही पात्र होगे जैसे मानो व गत तीन वर्षो से उक्त आवंटित भूमि पर खेती कर रहे है तथा आवंटन की अन्य शर्तो को पूर्ण करते है ।**

परन्तु अप्रार्थी द्वारा पेश खसरा गिरदावरी सम्वत् 2073 मे भूमि पडत होना तथा सम्वत् 2074 व 2075 पर काश्त होना साबित होती है । अतः गत 3 वर्षो मे भी भूमि पर काश्त होने के संबंध मे अप्रार्थी द्वारा सबूत प्रस्तुत नही किये है । अतः उक्त नोटिफिकेशन के आधार पर भी आवंटित भूमि पर गत 3 वर्षो से अप्रार्थी की काश्त होना साबित नही होता है । अतः राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी माधो पुत्र धन्ना जाति रेगर निवासी बन्धा तहसील लाडपुरा को वाके ग्राम आवंली तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नं0 233 रकबा 2.34 हैक्टर का किया गया आवंटन आदेश दिनांक 21.06.1999 निरस्त किया जाता है । तहसीलदार लाडपुरा उक्त भूमि पुनः राजकीय सिवाय चक खाता सरकार दर्ज कर यदि उस पर किसी का कब्जा है तो अनाधिकृत कब्जे को हटाने हेतु कार्यवाही करें तथा भूमि कब्जा राज ली जावे ।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा